(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE- EXTRAORDINARY)

OFFICE OF THE SECRETARY - CUM- DIVISIONAL COMMISSIONER,

DEPARTMENT OF REVENUE: GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI

(CO-ORDINATION BRANCH)

5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

No.F.1(15)/DCO/2010/ 4437 Dated:- 01/10/2015

NOTIFICATION

No.F.1(15)/DCO/2010/ 4437 In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Citizen Act,1955, read with rules 3 and 4 of the Citizenship Rules,2003 (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards), the Central Government has decided to prepare the National Population Register in the country.

In this context, the Government of NCT of Delhi hereby appoints the authorities as mentioned below in column 2, under the Citizenship Act 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards), Rules, 2003, as per Rules 5, 16 and 18, as Registrars for the preparation and updation of National Population Register with NPR designations as mentioned in column (3) to take or aid in or supervise the NPR operations within the administrative area specified against each of them in column (4) of the said Schedule given below :

Sl. No	Designation	NPR Designation	Administrative Area
1.	Deputy Commissioner	District Registrar of Citizen Registration	Respective District
2.	Sub-Divisional Magistrate	Sub-Divisional Registrar of Citizen Registration	Respective Sub-division/Tehsil including villages, Census Town and Statutory Towns
3.	Principal/Vice Principal/Tehsildars	Local Registrar of Citizen Registration	The person, by designation, who has been appointed as Charge Officer for Census2011videNotificationNo.5/1/09/Plg./Census/DES/257580dated15.03.2010 and 5/1/09/Plg/Census/DES/767-775 dated 11.02.2011 will act as the Local Registrar of Citizen Registration for the concerned Ward/Charge

Duties and responsibilities of Registrars of Citizen Registration at various level and General Public in connection with NPR.

District Registrar of Citizen Registration

a) Appointment of all functionaries at District level
b) Training of functionaries at District level
c) Ensuring availability of NPR data booklet for the area under his/her jurisdiction
d) Distribution of Material for field work
e) Ensuring proper and wide publicity so as to create awareness to the general public
f) Undertaking inspection of the field work
g) Ensuring and certifying full coverage
h) Getting NPR database back from the field

i) Monitoring Data Entry at the district level centre to enter the updated data along with Aadhaar number for every resident
j) Exercise financial control over expenditure
k) Any other task assigned by the Competent Authority

Sub-District Registrar of Citizen Registration

a) Appointment of all functionaries at Sub-District level
b) Training of functionaries at Sub-District level
c) Distribution of Material for field work
d) Ensuring proper and wide publicity so as to create awareness to the general public
e) Undertaking inspection of the field work
f) Ensuring timely start and completion
g) Ensuring correctness and quality of data collection
h) Ensuring and certifying full coverage
i) Exercise financial control over expenditure
j) Coordinating the field activities at Sub-District level
k) Any other task assigned by the Competent Authority

Local Registrar of Citizen Registration

a) Appointment of all functionaries at Charge level
b) Training of functionaries at Charge level
c) Distribution of Material for field work to the enumerators
d) Undertaking inspection of the field work
e) Ensuring timely start and completion
f) Ensuring correctness and quality of data collection
g) Ensuring and certifying full coverage
h) Coordinating the field activities at Charge level
i) Any other task assigned by the Competent Authority

By order and in the name of the Hon'ble Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

(A. ANBARASU)
Secretary (Revenue)-cum-
Divisional Commissioner

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ
सचिव (राजस्व) एवंम मंडलायुक्त कार्यालय
राजस्व विभाग : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(समन्वय शाखा)
5–शाम नाथ मार्ग, दिल्ली – 110054

एफ.1(15)/ डी.सी.ओ./2010/4437 दिनांक : 01/10/2015

अधिसूचना

नागरिकता नियमावली, 2003 (नागरिकों के पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान पत्रों को जारी करना) नियम 3 तथा 4 के साथ पठित नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने देश मे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर जनसंख्या तैयार करने का निर्णय लिया है।

इस संदर्भ में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 तथा नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना), नियमावाली, 2003 नियम 5, 16 तथा 18 के अनुसार कालम 2 के नीचे उल्लिखित प्राधिकारियों को नीचे दी गयी उक्त अनुसूची के कालम (4) में, उन प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र के अर्न्तगत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के ऑपरेशन संचालन में सहायता करने या कार्य अथवा पर्यवेक्षण हेतु कालम (3) में यथा उल्लिखित पदनामों सहित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की तैयारी तथा अध्यतन के लिए पंजीयक के तौर पर नियुक्त करती हैं।

क0 स0.	पदनाम	रा.ज.र. पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
1.	उपायुक्त	नागरिक पंजीकरण का जिला पंजीयक	सम्बंधित जिला
2.	उप–जिला मजिस्ट्रेट/ (एस.डी.एम.)	नागरिक पंजीकरण का उप जिला पंजीयक	सम्बद्ध उप जिला गॉव, जनगणना नगर तथा सांविधिक नगरों को शामिल करते हुए सम्बन्धित उप–जिला/ तहसील
3.	प्रधानाचार्य/ उप–प्रधानाचार्य/ तहसीलदार	नागरिक पंजीकरण का स्थानीय पंजीयक	वह व्यक्ति पदनाम द्वारा प्रधानाचार्य/ उप– प्रधानाचार्य/ तहसीलदार स्थानीय पंजीयक जिसे अधिसूचना सं. 5/1/09/ प्लानिंग/सेन्सस/डी.ई.एस/ 2575–80 दिनांक 15.03.2010 तथा 5.01.09/प्लानिंग/सेन्सस /डी.ई.एस./767–775 दिनांक 11.02.2011 द्वारा जनगणना 2011 के लिए चार्ज अधिकारी नियुक्त किया गया था, सम्बन्धित वार्ड/प्रभार के लिए नागरिक पंजीकरण रजिस्टर के स्थानीय पंजीयक के तौर पर कार्य करेगा।

क. नागरिक पंजीकरण का जिला पंजीयक

1. जिलां स्तर पर सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करना।
2. जिला स्तर पर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण।
3. अपने क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र के लिए एनपीआर आंकडा पुस्तिका की उप्लब्धता सुनिश्चित करना।
4. फील्ड कार्य के लिए सामग्री वितरण।
5. उचित और विस्तृत प्रचार सुनिश्चित करना ताकि सामान्य जनता में जागरूकता पैदा की जा सके।
6. फील्ड कार्य का निरीक्षण करना।
7. पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना और सत्यापित करना।
8. फील्ड से एनपीआर आंकडा संचय (डाटाबेस) वापस लेना।
9. प्रत्येक निवासी के लिए आधार संख्या के साथ अद्यतन आंकडे की प्रविष्टि करने के लिए जिला स्तरीय केन्द्र पर आंकड़ा प्रविष्टि की निगरानी करना।
10. व्यय पर वित्तीय नियंत्रण करना।
11. सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम किया गया कोई अन्य कार्य।

ख. नागरिक पंजीकरण का उप–जिला पंजीयक

1. उप–जिला स्तर पर सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करना।
2. उप–जिला स्तर पर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण।
3. फील्ड कार्य के लिए सामग्री वितरण।
4. उचित और विस्तृत प्रचार सुनिश्चित करना ताकि सामान्य जनता को जागरूक किया जा सके।
5. फील्ड कार्य का निरिक्षण करना।
6. यथा समय कार्य आरम्भ और समापन को सुनिश्चित करना।
7. आंकड़ा संग्रहण की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
8. संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना और सत्यापित करना।
9. व्यय पर वित्तीय नियंत्रण करना।
10. उप–जिला स्तर पर फील्ड गतिविधियों का समन्वय करना।
11. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौपे गए सभी अन्य कार्य करना।

ग. नागरिक पंजीकरण का स्थानीय पंजीयक

1. प्रभार स्तर पर सभी पदाधिकरियों की नियुक्ति करना।
2. प्रभार स्तर पर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण।
3. फील्ड कार्य के लिए प्रगणकों के सामग्री का विवरण।
4. फील्ड कार्य का निरीक्षण करना।
5. समय पर कार्य की शुरूआत करने और समाप्त करने को सुनिश्चित करना।
6. आंकड़ा संग्रहण की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
7. संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना और सत्यापित करना।
8. प्रभार स्तर पर फील्ड गतिविधियों का समन्वय करना।
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौपे गए कोई अन्य कार्य करना।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(ए. अबंरसुं)
सचिव (राजस्व) एंवम मंडलायुक्त